वित्त निर्देश 54/2013

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 361/एफ–2013–17–00004/वि/नि/चार/2013 नया रायपुर, दिनांक 26 अगस्त, 2013

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़।

विषय :– छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी–आयु) (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (कमांक 2 सन् 2013)। शासकीय कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष करने बाबत्।

———

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के ऐसे समस्त शासकीय सेवक जिनकी अधिवार्षिकी आयु वर्तमान में 60 वर्ष है, में वृद्धि कर 62 वर्ष की जाये। तद्नुसार छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी–आयु) (संशोधन) अध्यादेश, 2013 द्वारा मूलभूत नियम 56 में आवश्यक संशोधन किया गया है। यह अध्यादेश छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) (कमांक 374) दिनांक 23.08.2013 **(प्रति संलग्न)** में प्रकाशित किया गया है।

2/ छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी–आयु) (संशोधन) अध्यादेश, 2013 दिनांक 31 अगस्त, 2013 से प्रभावशील होगा अर्थात् यह संशोधन उन शासकीय सेवकों पर लागू होगा, जिनकी अधिवार्षिकी–आयु पर सेवानिवृत्ति की तिथि, वर्तमान नियमों के अनुसार दिनांक 31 अगस्त, 2013 या इसके पश्चात् है।

3/ राज्य शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के समस्त निगमों/मंडलों/शासकीय निकायों/पंचायत तथा नगरीय निकायों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु में भी इस संशोधन के अनुरूप वृद्धि की जाए। इस

हेतु संबंधित संस्थाओं के प्रशासकीय विभाग अपने अधीनस्थ संस्थाओं हेतु उचित निर्देश प्रसारित करेंगे। ऐसी संस्थाएं अपने नियमों/निर्देशों में यथा आवश्यक संशोधन हेतु उचित कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करेंगे।

4/ ऐसे शासकीय सेवक जो सेवावृद्धि/पुनर्नियुक्ति/संविदा नियुक्ति पर हैं, उनके मामलों में यह आदेश लागू नहीं होगा, क्योंकि वे इस संशोधन के पूर्व विद्यमान नियमों/निर्देशों के अंतर्गत अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर चुके हैं।

संलग्न :– छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण)
दिनांक 23.08.2013 की प्रति।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

26/08/2013

(एस.के. चक्रवर्ती)
उप सचिव
वित्त एवं योजना विभाग

पृ.क्र. 362/एफ–2013–17–00004/वि/नि/चार/2013 नया रायपुर, दिनांक 26 अगस्त, 2013

प्रतिलिपि :–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया नया रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

26/08/2013

(आलोक कुमार राय)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी,
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 374] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 अगस्त 2013—भाद्र 1, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2013

क्रमांक 8041/डी. 257/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (क्रमांक 2 सन् 2013) एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अध्यादेश

(क्रमांक 2 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) अध्यादेश, 2013

छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, 1967 (क्र. 29 सन् 1967) को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

यत:, राज्य विधान मंडल का सत्र चालू नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल कार्रवाई करें.

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अध्यादेश छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) अध्यादेश, 2013 कहलायेगा.

(2) यह 31 अगस्त, 2013 से प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 29 सन् 1967 का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.

2. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, 1967 (क्रमांक 29 सन् 1967) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), धारा 3 में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

छत्तीसगढ़ अधिनियम क्रमांक 29 सन् 1967 की धारा 2 द्वारा यथा प्रतिस्थापित मूल नियम (फंडामेंटल रूल्स) 56 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 2 द्वारा यथा प्रतिस्थापित मूलभूत नियम 56 में, निम्नलिखित संशोधन निगमित किया जाये, अर्थात् :—

(एक) उप-नियम (1) में, शब्द, अंक, कोष्टक, हायफन तथा विरामचिन्ह (1-क), (1-ख) एवं (1-ग) को विलोपित किया जाए.

(दो) उप-नियम (1) में, शब्द "साठ" जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द "बासठ" प्रतिस्थापित किया जाए.

(तीन) उप-नियम (1-क), (1-ख) एवं (1-ग) को विलोपित किया जाए.

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2013

क्रमांक 8041/डी. 257/21-अ/प्रारू./छ. ग./13.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (क्रमांक 2 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ORDINANCE
(No. 2 of 2013)

THE CHHATTISGARH SHASKIYA SEVAK (ADHIVARSHIKI-AYU) (SANSHODHAN) ORDINANCE, 2013

An Ordinance further to amend the Chhattisgarh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki-Ayu) Adhiniyam, 1967 (No. 29 of 1967).

Promulgated by the Governor of Chhattisgarh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India.

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that, the circumstances exist, which render it necessary for him to take immediate action.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

Short title and commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Chhattisgarh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki-Ayu) (Sanshodhan) Ordinance, 2013.

(2) It shall come into force from the 31st day of August, 2013.

The Chhattisgarh Act No. 29 of 1967 to be temporarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Chhattisgarh Shaskiya Sevak (Adhivarshiki-Ayu) Adhiniyam, 1967 (No. 29 of 1967) (hereinafter referred to as the Principal Act), shall have the effect, subject to the amendments specified in Section 3.

Amendment of Fundamental Rule 56 as substituted by Section 2 of the Chhattisgarh Act, No. 29 of 1967.

3. In Rule 56 of the Fundamental Rules as substituted by Section 2 of the Principal Act, the following shall be incorporated, namely :—

(i) In sub-rule (1), the words, figures, parenthesis, hyphen and punctuation, (1-a), (1-b) and (1-c) shall be omitted.

(ii) In sub-rule (1), for the word "sixty" wherever it occurs, the word "sixty two" shall be substituted.

(iii) Sub-rule (1-a), (1-b) and (1-c) shall be omitted.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा सरकारीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.